न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
हंसाजी मुलाजी प्रजापति पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापति निवासी विहोणा प्लोट, जगदीश सोसायटी के पास, केडिला रोड, घोडासर अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद गुजरात	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री हेमाराम देवासी

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 40/2025

–:आदेश:–

दिनांक 29.08.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य हक एवं अधिकार की संयुक्त खातेदारी कब्जे एवं काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम जोयला, पटवार हल्का जोयला, भू अभिलेख निरीक्षक जोगापुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान में आई हुयी स्थित है जिसका खाता संख्या नया 276 एवं खाता संख्या पुराना 247 हैं तथा खसरा संख्या 249 रकबा 0.7122 हैक्टर है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त प्रार्थी के हक हिस्से पर चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया हैं। राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारी/पटवारी हल्का जोयला द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय भूलवश सहवन से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम हरना पुत्र भूला किया गया हैं जो कि प्रार्थी का सही नाम नहीं है प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हंसाजी मुलाजी प्रजापती पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापती है इस प्रकार प्रार्थी के उक्त खाते में प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम हरना पुत्र भूला दर्ज हो गया है। प्रार्थी का विभिन्न दस्तावेजो अनुसार सही एवं वास्तविक नाम हंसाजी मुलाजी प्रजापती पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापती है प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेजो अर्थात् प्रार्थी के आधार कार्ड, आयकर विभाग के पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम हंसाजी मुलाजी प्रजापती पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापती दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हंसाजी मुलाजी प्रजापती पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापती के स्थान पर हरना पुत्र भूला गलत दर्ज होने सें प्रार्थी ने कई मर्तबा राजस्व अधिकारियो एवं पटवारी से मिलकर गलत नाम को दुरूस्त कर प्रार्थी का सही नाम दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन आज दिन तक प्रार्थी का सही नाम शुद्धिकरण नहीं हो सका जिससे प्रार्थी को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओ का सही रूप से लाभ नहीं मिल रहा है प्रार्थी करीब 70 वर्षीय पुरूष हैं जिससे प्रार्थी अपनी इस अवस्था में जगह जगह कार्यालय की ठोकरे खाने में असमर्थ है इसके अलावा प्रार्थी को अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की कृर्षि भूमि पर स्थायी सुविधा एव के.सी.सी इत्यादि सुविधाओ में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा सरकार से मिल रहे लाभ एवं अनुदान से भी प्रार्थी को निरन्तर वंचित होना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आप श्रीमान्जी से निवेदन है कि सरहद मौजा जोयला, पटवार हल्का जोयला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 276. खाता संख्या पुराना 247 एवं वर्तमान खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.7122 हैक्टर, में दर्ज प्रार्थी का नाम हरना पुत्र भूला की जगह इन्द्राज दुरूस्त करके [illegible] ये प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हंसाजी मुलाजी प्रजापती पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापती करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक को [illegible] 2025/477 दिनांक 25.[illegible].2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि ग्राम जोयला के नामांतरकरण संख्यां 126 दिनांक 27.09.1974 प्रकार विरासत द्वारा मूला पुत्र सांकला जाति कुम्हार के स्थान पर हंसा, राजा, देशा पि. मूला दर्ज किया गया था। नवीन जमाबंदी बनाते समय हंसा पुत्र मूला के स्थान हरना पुत्र भुला दर्ज हो गया है। जिसे हंसा पुत्र मुला किया जाना उचित बताया है। दिनांक 26.08.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की जिसे सुना गया।

लगातार पेज–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:13:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0–40 / 2025
हंसाजी मूलाजी प्रजापति बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी बनाते समय हंसा पुत्र मूला के स्थान पर हरना पुत्र भूला दर्ज हो गया है जिसे हंसा पुत्र मूला किया जाना उचित है। अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा जोयला**, पटवार हल्का जोयला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 276 में वर्णित **खसरा संख्या 249 रकबा 0.7122 हैक्टेयर** भूमि में दर्ज दर्ज सा. देह खातेदार हरना पुत्र भूला के स्थान पर **हंसाजी मूलाजी प्रजापति पुत्र मुलाजी सोकलाजी प्रजापति** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 29–08–2025

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 /
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:13:57 IST
Reason: SelfAttested